राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
4, इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाणा डूँगरी,जयपुर ।

बिड संख्या संस्थापन/1/2019–20 1871 दिनांक: 27/09/2019

ई–निविदा सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर को 30 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 6 वाहन चालक संविदा पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पंजीकृत एवं अनुभवी फर्म/ठेकेदारों/संस्था/एजेन्सियों से नियमानुसार बिड आमंत्रित की जाती है।

क्र. स.	कार्य विवरण	अनुमानित राशि वार्षिक(रू. में)	बयाना राशि (रू. में)	संविदा अवधि	बिड प्रस्तुत करने की दिनांक व समय	बिड खोलने की दिनांक व समय
1	30 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 6 वाहन चालक	32,00,000	64,000	1 वर्ष	दिनांक 18.10.2019 को सांय 3:00 बजे तक	दिनांक 21.10.2019 को प्रात: 11:00 बजे तक

01-10-2019 से दिनांक 18.10.2019 दोपहर 3:00 बजे तक निर्धारित निविदा शुल्क 1000/– रूपये जमा कराकर http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in बेवसाईट से डाउनलोड कर सकते है। शर्ते एवं अन्य विवरण विभागीय वेबसाईट एवं उपापन पोर्टल पर देखे जा सकते है। बिड प्रपत्र एवं बयाना राशि के बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। भारत सरकार के विशेष प्रावधान MSME के अतिरिक्त बिना बयाना राशि के बिड स्वीकार्य नहीं होगी।

(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

निविदा संख्याः संस्थापन/1/2019 **दिनांकः**

<u>चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की संविदा पर सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु बिड सूचना</u>

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय जयपुर को 30 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं 6 वाहन चालक की संविदा पर सेवाओं की आवश्यकता है। उपरोक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं/एजेन्सियों से दरें प्रस्तुत किए जाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती हैं। http://wwww.rpcb.rajasthan.gov.in/ पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी तथा निविदा के साथ बीड प्रपत्र राशि 1,000/– तथा अमानत राशि रूपये 64,000/– (चौसठ हजार रूपये मात्र) डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में सदस्य सचिव के नाम से जमा करानी आवश्यक होगी। बिड दिनांक 18.10.2019 को अपरान्ह् 3:00 बजे तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर में जमा करवाई जा सकती हैं। प्राप्त निविदाएं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 21.10.2019 को प्रातः 11:00 बजे खोली जावेंगी।

भवदीया,

(शैलजा देवल)
सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

बिड प्रपत्र

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की सेवाएं संविदा पर ऐजन्सी के माध्यम से दिये जाने हेतु बिड–

1. बिडदाता/फर्म का नाम व पताः (मय दूरभाष/मोबाइल नम्बर तथा ई–मेल) पते (यदि हो) सहित -- -- -- --
2. बिडदाता/फर्म का श्रम विभाग में पंजीयन का कमांक एवं दिनांकः --
   MSME का पंजियन संख्या, यदि हो तो --
3. ई.एस.आई. पंजीकरण संख्या --
4. पी.एफ. पंजीकरण संख्या --
5. बिडदाता/फर्म का सेवाकर पंजीयन क्रमांक एवं दिनांकः --
6. बिडप्रपत्र देने का पताः — सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
7. संदर्भ – निविदा सूचना 1/2019–20 दिनांक ———— जमा कराने की तिथि ———— अपरान्ह —— बजे तक
   खोलने की तिथि ———— अपरान्ह —— बजे
8. राजकाम्प इनको सर्विस लि. (RISL) के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट ———————————— रू. 500/– प्रति बिड (Process Fees)
9. बिड शुल्क का विवरण – राशि रूपये 1000/-
   नकद रसीद सं0 ———— दिनांकः————
   डी.डी. न0———— दिनांकः————
   बैंकर्स चैकः———— दिनांकः————
10. अमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, बैंक का नाम ————————
    जो सदस्य सचिव, राज0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पक्ष में देय हों का विवरण
    राशि रू. ———/–(शब्दों में ———— मात्र)
    डी.डी./बैंकर्स चैक सं0 ———— दिनांक————
    बैंक का नाम————————
11. बिड के लिए मासिक प्रस्तावित दर प्रति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक :– (अंको में) ————————
    (शब्दों में) ————————
12. बिडदाता का विवरण एवं अनुभव प्रमाण पत्र – बिड आवेदनकर्ता अपनी फर्म/एजेन्सी का पूर्ण विवरण, कन्सटीट्यूशन एवं अनुभव का पूर्ण विवरण मय तत्संबंधी प्रमाण पत्रों के संलग्न करें।
13. मैंनें/हमनें बिड प्रपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लिया है। हमें सभी शर्तें मान्य होने बावत् शर्तों पर सहमति के पश्चात् हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता

Scanned by CamScanner

15288

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूँगरी, जयपुर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की सेवाएं संविदा पर लेने के लिए मांगी जाने वाली निविदा के लिए शर्तें:–

बिडदाता को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए एवं बिड भरते समय इनकी पूर्णतः पालना करनी चाहिए। बिडदाता को यदि किसी शर्त या कार्य के बारे में कोई सन्देह हो या वह अस्पष्ट लगे तो, अपनी बिड प्रस्तुत करने से पहले उसका सदस्य सचिव कार्यालय से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया जावे। किसी भी शर्त की व्याख्या या विशेष विवरण के संबंध में मण्डल का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।

1. बिड प्रपत्र, निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर के नाम करवाया जावेगा। बिड प्रपत्र पर प्रस्तुत दरें ही स्वीकार की जावेगी।
2. बिड की एक हार्डकॉपी ठीक प्रकार से सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर ''संविदा पर रखे जाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की बिड'' अंकित कर उसे सदस्य सचिव, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना, 4, संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर को संबोधित करते हुये रजिस्टर्ड डाक/साधारण डाक द्वारा या व्यक्तिशः इस प्रकार से प्रस्तुत करना होगा कि वह निर्धारित तिथि एवं समय तक मण्डल कार्यालय में पहुँच जावे।
3. अमानत राशि तथा RISL की प्रोसेसिंग फीस के रूप में डी.डी./बैंकर्स चैक बिड प्रपत्र के साथ Upload करना अनिवार्य है, बिना अमानत राशि तथा RISL की फीस के प्राप्त बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। डी.डी./बैंकर्स चैक, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के नाम से देय होगा। राजकीय उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी निकाय जो सरकार, सरकारी उपक्रमों, संघ सरकार या राजस्थान सरकार की कम्पनियों द्वारा नियंत्रित/प्रबन्धित संस्थाओं को अमानत राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. सफल बिडदाता को बिड स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर स्वयं के खर्चे पर रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र भरकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।
5. बिड (ठेका) अनुमोदित होने पर जारी कार्य आदेश की तिथि के सात दिवस में वार्षिक ठेके की राशि के 5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में सदस्य सचिव, राज0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पक्ष में डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में प्रस्तुत करनी होगी तथा MSME धारक को भारत सरकार द्वारा

Scanned by CamScanner

निर्धारित छूट देय होगी। आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है। प्रतिभूति पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। ठेका अवधि पूर्ण होने के पश्चात ठेका अवधि में कार्य सन्तोषजनक होने तथा किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की स्थिति में प्रतिभूति राशि नियमानुसार वापिस लौटा दी जावेगी। बिडदाता चाहे तो अमानत राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित करा सकेगा।

6. निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करने अथवा प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराने पर उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये बिड निरस्त कर दी जावेगी एवं अन्य बिडदाता की बिड स्वीकृत करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

7. प्रत्येक बिडदाता के पास सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत जारी डिजिटल प्रमाण–पत्र होना आवश्यक होगा।

8. यह बिड केवल वही व्यक्ति/फर्म/संस्थाऐ प्रस्तुत कर सकती है, जिनका पंजीयन श्रम विभाग एवं आयकर विभाग पी.एफ. व ई.एस.आई. में हो। साक्ष्य के रूप में उक्त पंजीयन प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियॉ बिड के साथ Upload करना अनिवार्य है। बिना पंजीयन प्रमाण पत्रों के आवेदन करने वाली फर्म/व्यक्ति/संस्थाओं की बिड को निरस्त समझा जावेगा।

9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक संविदा पर कार्य अवधि का ठेका स्वीकृति दिनांक से प्रारम्भ में छः माह की अवधि के लिए होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर ठेका आगे बढ़ाया जा सकेगा।

10. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की संख्या व योग्यता विवरणः–

- **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संख्या** :– लगभग 30
- **वाहन चालक की संख्या** :– लगभग 06
- **कर्मी की योग्यता :–**

  (i) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं होनी चाहिए। कार्यालय सम्बंधी कार्यों के निष्पादन हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक हैं।

  (ii) वाहन चालक की योग्यता दसवीं व लगभग 5 वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव एवं हल्का/भारी वाहन चालक लाईसेन्स होना जरूरी है।

  (iii) कर्मी स्वस्थ्य एवं न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

11. बिडदाता एजेन्सी को वर्तमान में उसके पक्ष में जारी अनुबन्धों का पूर्ण विवरण देना होगा।

12. बिडदाता एजेन्सी उपलब्ध कराये गये में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक 15 दिन पूर्व सूचना देकर बदलाव कर सकेगा। फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक में कुल उपलब्ध कराये गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की संख्या के 20 प्रतिशत तक स्थायी बदलाव किया जा सकेगा। इससे अधिक स्थायी बदलाव करने से पूर्व मण्डल की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

Scanned by CamScanner

13. सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक को आई.डी. कार्ड एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्यालय समय में सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक को आई.डी. कार्ड साथ रखना आवश्यक होगा।

14. सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक को अपने दस्तावेज व तकनीकी योग्यता की जाँच सक्षम अधिकारी से कराने के पश्चात् मण्डल की लिखित अनुमति के पश्चात् ही ड्यूटी पर माने जावेंगें।

15. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक पर कार्य करने वाले कर्मी हेतु प्रतिदिन प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक कार्य सम्पादित करना होगा एवं इस अवधि को एक दिन का कार्य दिवस माना जावेगा। कार्य दिवस एवं कार्य समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार मान्य होगा।

16. सफल बिडदाता कार्य पर जिन कर्मियों को संविदा के आधार पर लगायेगा उनके नाम एवं पते मय दो फोटो कार्यादेश जारी होने की तिथि के 5 दिनों के अन्दर–अन्दर मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। अनुबन्ध की अवधि में यदि किसी कर्मी को बदला जाता है तो उसके बदले नये कर्मी का नाम पता मय फोटो तुरन्त ही प्रस्तुत करने होगें।

17. किसी भी तरह के न्यायिक विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

18. यदि बिडदाता द्वारा उपलब्ध करवाएं जाने वाले कर्मियों द्वारा किसी प्रकार के कानूनी पहलू अथवा न्यायिक कार्यवाही की जाती है, तो बिडदाता संस्था/एजेन्सी ही उसके लिए उत्तरदायी होगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर उपरोक्त दायित्वों के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायी नहीं होगा।

19. उक्त बिड में भाग लेने वाली फर्म/एजेन्सी को इस क्षेत्र में (राजकीय/अर्द्ध राजकीय/राज्य शासित निकायों) न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं। इसके लिये अनुभव एवं किये गये कार्यों का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं। बिना अनुभव प्रमाण पत्रों के निविदा निरस्त योग्य होगी।

20. बिडदाता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक के पारिश्रमिक से पी.एफ. की राशि स्वयं के स्तर पर काटेगा तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान की राशि भविष्य निधि पी.एफ. जमा कराए जाने के साक्ष्य यथा चालान मय ई.सी.आर. की प्रति पिछले माह की आगामी बिल के साथ मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात् ही आगामी महिनों के बिल पारित किये जाना सम्भव हो सकेगा।

21. बिडदाता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक के पारिश्रमिक से ई॰एस॰आई॰ की राशि स्वयं के स्तर पर काटेगा तथा कर्मचारी एवं नियोक्ता के अंशदान मार्फत राज्य बीमा कार्ड अपने कार्मिकों को 15 दिवस में उपलब्ध करवायेगा और मण्डल मुख्यालय में सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी।

22. उपलब्ध करवाए गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक समस्त को हिन्दी/अंग्रजी का ज्ञान होना अनिवार्य है।

Scanned by CamScanner

23. मण्डल को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक की आवश्यकता है। फिर भी आवश्यकतानुसार उक्त की संख्या में कमी या बढ़ोतरी करने का अधिकार मण्डल कार्यालय का होगा। अतिरिक्त मांग की स्थिति में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक कार्यादेश जारी होने के 3 दिवस में उपलब्ध कराना होगा।

24. किसी भी बिड के कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार मण्डल के अध्यक्ष / सदस्य सचिव को होगा।

25. बिड के सम्बंध में किसी प्रकार का विवाद होने पर पृथक अध्यक्ष सदस्य को प्रस्तुत किया जावेगा, यदि फिर भी विवाद समाप्त नहीं होता है तो मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय दोनों पक्षकारों को मान्य होगा।

26. यदि कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं वाहन चालक अनुपस्थित रहता है तो इनके मासिक वेतन से प्रतिदिन की दर से बिल में से राशि काटी जावेगी।

27. श्रम विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचनाओ के अनुसार न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य नियमों की पालना बिडदाता को करना आवश्यक है।

भवदीया,

(शैलजा देवल)

सदस्य सचिव

Scanned by CamScanner